बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: संकल्प ::–

पटना–15, दिनांक.....

श्री शिशिर कुमार मिश्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–385/2026, (446/2024), तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन प्राप्त किये बिना वर्ग–03 एवं 04 के कर्मियों के स्थानांतरण के प्रस्ताव को अनुमोदित करने, न्यायालय निर्णय का हवाला देकर याचिकाकर्ता को अनुचित भुगतान करने का आदेश देने एवं अराजपत्रित तकनीकी एवं गैर तकनीकी स्वास्थ्य सेवा संवर्ग नियमावली–2022 के सेवा शर्त की रूप रेखा तैयार करने में सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से पूर्व में कमिटी के गठन हेतु अनुमोदित प्रस्ताव से इतर अन्य प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी आरोपों के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–119 (5), दिनांक–01.02.2024 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

2. उक्त प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–6381 दिनांक 24.04.2024 द्वारा श्री मिश्र से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री मिश्र से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–9261 दिनांक–12.06.2024 द्वारा स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1228(5), दिनाक–29.08.2024 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री मिश्र के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।

3. तदुपरांत श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप–पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर मामले की विस्तृत जाँच कराने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–16125, दिनांक–06.10.2024 द्वारा श्री मिश्र के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। सचिव–सह–जाँच आयुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1372, दिनांक–02.09.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री मिश्र के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर श्री मिश्र से विभागीय पत्रांक–17158, दिनांक–11.09.2025 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के क्रम में श्री मिश्र का लिखित अभिकथन (दिनांक–24.10.2025) प्राप्त हुआ।

4. श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री मिश्र द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मिश्र के लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए श्री मिश्र के विरूद्ध निम्न दंड विनिश्चित किया गया :–

(1) निन्दन (आरोप वर्ष 2023–24)।

(2) 04 (चार) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक।

5. उक्त विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–22610, दिनांक–05.12.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4583, दिनांक–13.02.2026 द्वारा परामर्श प्राप्त हुआ। जिसमें आयोग द्वारा उक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का परामर्श दिया गया।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के उक्त परामर्श के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की पुनः समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत श्री मिश्र को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4669, दिनांक–11.03.2026 द्वारा "04 (चार) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक" का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

6. उक्त अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध श्री मिश्र द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अंकित है कि :–

(i) इनके विरुद्ध लगाये गये तीन आरोपों में से आरोप–पत्र में मात्र एक ही आरोप (प्रथम आरोप) के समर्थन में साक्ष्य दिया गया है। विभागीय कार्रवाई के संचालन तथा गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के क्रम में शेष दो आरोपों को प्रामाणित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। ऐसे में साक्ष्य के अभाव में आरोप प्रमाणित मानकर दंडित किया जाना Malafied Intention प्रदर्शित करता है।

(ii) आरोप–पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है तथा नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए Provoke करता है, जो इस पत्र की प्रथम कंडिका 1–(D) से स्वतः स्पष्ट है।

(iii) दंड संसूचित करने संबंधी संकल्प में उनके बचाव बयान तथा लिखित अभिकथन के मजबूत पक्षों/कानूनी पहलुओं की सीधे–सीधे जान–बूझकर अनदेखी की गयी है।

(iv) आरोप प्रमाणित करने तथा दंड संसूचित करने के लिए निर्गत संकल्प में तथ्य/साक्ष्य कानूनी पहलुओं/विभागीय प्रावधानों, जिनका उल्लंघन किया गया है, की जानकारी देने और उन्हें आधार बनाने के बजाय तर्क को आधार बनाया गया है जो स्तरहीन तर्क होने के साथ–साथ न्यायोचित एवं नियमानुकूल भी नहीं है।

(v) अवमाननावाद (MJC No-3948/2013) में पारित न्यायादेश के अनुपालन में उन पर आरोप–पत्र गठित करना और बिना साक्ष्य के दंड संसूचित कर देना अत्यंत

आपत्तिजनक तथा Contempt of Court है। ज्ञातव्य है कि आरोप–पत्र गठन के कई महीने पूर्व संबंधित MJC का आदेश आ चुका था।

(vi) आरोप–पत्र गठन, विभागीय कार्रवाई के संचालन, गवाहों के परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण इत्यादि इन सभी जगहों पर उनके द्वारा बार–बार उल्लेखित तथ्य कि Policy Matter (विभाग) तथा Routine work Matter (यथा–निदेशालय के मामले) में अन्तर होता है, की जान–बूझकर उपेक्षा की गयी है, जिस पर पुनर्विलोकन किये जाने की आवश्यकता है।

(vii) आरोप–पत्र में 'सक्षम प्राधिकार' को लेकर पूर्णतः भ्रम की स्थिति है। जिस कार्य के लिए सक्षम प्राधिकार स्वयं निदेशालय प्रधान निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें होते हैं, उसमें जबरन अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सक्षम प्राधिकार बताया गया है, जो विभागीय प्रावधान, विभागीय आदेश तथा Health Manual का सरासर उल्लंघन है।

(viii) निदेशालय/निदेशालय के मामले तथा विभाग/विभाग के मामले में अंतर होता है। आरोप–पत्र में उल्लेखित मामला निदेशालय से संबंधित था न कि विभाग से, इसलिए उसपर अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकार–सह–निदेशालय प्रधान निदेशक प्रमुख द्वारा लिया गया है।

7. श्री मिश्र द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री मिश्र ने अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि उनके विरुद्ध पुनर्गठित आरोप–पत्र में कुल–03 आरोप लगाये गये हैं, परन्तु केवल पहले आरोप के संबंध में ही साक्ष्य दिया गया है, अन्य आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। जबकि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप–पत्र एवं संलग्न साक्ष्यों के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप–पत्र साक्ष्य सहित श्री मिश्र को भेजते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसके क्रम में श्री मिश्र द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसमें श्री मिश्र के द्वारा किसी प्रकार के अन्य साक्ष्य/कागजात आदि की मांग नहीं की गयी बल्कि उन आरोपों के संबंध में इनके द्वारा जबाव दिया गया, जिसके समीक्षोपरांत ही श्री मिश्र के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। पूर्व में भी इनके द्वारा इस विभागीय कार्यवाही के क्रम में भी विभाग से किसी प्रकार के साक्ष्य/कागजात की मांग नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त श्री मिश्र द्वारा अपने पुनर्विलोकन आवेदन में अन्य कोई नई बात नहीं कही गयी है बल्कि पुराने तथ्यों को ही दोहराया गया है, जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से पूर्व में की गयी है और तदुपरांत ही शास्ति अधिरोपित किया गया है।

8. साथ ही, श्री मिश्र द्वारा अपने पुनर्विलोकन आवेदन एवं द्वितीय लिखित अभिकथन में उपयोग किये गये भाषा एक सरकारी सेवक के लिए शोभनीय नहीं है।

9. वर्णित स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शिशिर कुमार मिश्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–385/2026, (446/2024), तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

10. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त लिए गए निर्णय के आलोक में श्री मिश्र द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4669, दिनांक–11.03.2026 द्वारा संसूचित दंड यथा **"04 (चार) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक"** को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–08/आरोप–01–25/2023 सा०प्र० 8723 / पटना–15, दिनांक 15.5.26

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव–सह–जाँच आयुक्त, गन्ना उद्योग, बिहार, पटना/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, विश्वैशरैया भवन, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/श्री शिशिर कुमार मिश्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–385/2026, (446/2024), उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई.टी. मैनेजर (शीर्ष–09 के अंतर्गत विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.5.26

सरकार के अवर सचिव।